



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257813
CG-DL-E-12102024-257813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4035]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4035]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4398(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन गठित 'राज्य भार प्रेषण केंद्र अनसडयूलड इंटरचेंज निधि - पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड' (पैन : AAIAS0980J) को उस ट्रस्ट को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात् :

- (क) अनसडयूलड इंटरचेंज पूल बैलेंस खाते में अवशिष्ट धन राशि;
- (ख) अनसडयूलड इंटरचेंज से संबंधित अथवा आकस्मिक आय; और
- (ग) सावधि जमा और ऑटो-स्वीप खातों पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राज्य भार प्रेषण केंद्र अनसडयूलड इंटरचेंज निधि - पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (पैन : AAIAS0980J) –

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 से संगत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 107 /2024/फा. सं. 300196/4/2024-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4398(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund- West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (PAN: AAIAS0980J), constituted under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) in respect of the following specified income arising to that trust, namely:

- (a) Residual money in the unscheduled interchange pool balance account;
- (b) Income incidental to or related to unscheduled interchange; and
- (c) Interest on fixed deposits and auto-sweep accounts.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund- West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (PAN: AAIAS0980J)-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2023-2024 and 2024-2025 relevant for the financial years 2022-2023 and 2023-2024 respectively.

[Notification No. 107 /2024/F. No. 300196/4/2024-ITA-I]
VIKAS SINGH, Director ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.